न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 01/2021

शीर्षक

1. कैलाश पुत्र झूंथा
2. लाला पुत्र झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासी घासीपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– वादीगण

बनाम

1 रूड़ा पुत्र श्योला
2 सुवा पुत्र श्योला समस्त जाति मीणा, निवासीयान घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा–शाहपुरा, जिला (राज०)

– प्रतिवादीगण

5. जयराम पुत्र झूंथा
6. सुरजी देवी पुत्री झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासीयान घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 3/7/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है किहाल आराजी खाता सं0–257 के खसरा नं० 76/0.62 है0 किता–1 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल है। यहकि वाद पत्र के खण्ड सं०–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि खातेदार शामलाती में ही काश्त करते आये है। यहकि प्रतिवादीगण धनी, लडाकू किस्म के खूंखार लठत व्यक्ति है, जो आये दिन सींव, डोल. सीमा विवाद करते रहते है तथा रास्ता के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है, जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है।यहकि दिनांक–30.12.2020 को वादीगण अपने खेतो की देखरेख कर रहे थे कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खेतो में जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा काश्त की देखरेख में पेरशानी पैदा की तथा कहा कि हम तुमको काश्त हेतु नहीं जाने देगे तथा वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गये तो आस पास के लोग एकत्रित हो गये तथा आपसी समझाईश से उस वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानियां धमकी दी तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानियां धमकी दी कि हम उक्त भूमियो कानूनी बंटवारा नही होने देगे तथा काश्त करने हेतु भी भूमि नही जाने देगे तथा रास्ते पूर्ण रूप से अवरूद्ध करके रहेगे तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर पर इंकारी हो गये इस कारण वादीगण को अपने विधिकअधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यहकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादीगण को काश्त नहीं करने दी व रास्ता अवरूद्ध कर दिया या वादीगण को बेदखल कर दिया तथा कानूनी बंटवारा नहीं होने दिया तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि से संभव नहीं हो सकेगी तथा वादीगण को अपने विधिक अधिकारो से महरूम होना पडेगा।

अन्त में निवेदन किया गया किहाल आराजी खाता सं0–257 के खसरा नं0–76/0.62 किता–1 रकबा 0.62 है० वाकै ग्राम घासीपुरा, तह०शाहपुरा जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमो के मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व काश्त में किसी भी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वंय पैदा करे, न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अथवा उत्तराधिकारीयो से कावे जबकि वादीगण को शांति पूर्वक काबिज एवं आबादी रहकर काश्त करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हजारी प्रसाद मीणा ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश नहीं कर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दिनांक 24.02.2021 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2022/783 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी द्वारा आपत्ति पेश की गई। वकील उभयपक्ष को आपत्ति पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट में मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखे जाने से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त कर तहसीलदार शाहपुरा को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/550 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारान् में विधिवत भूमि विभाजित की गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं0–257 के खसरा नं० 76/0.62 है0 किता–1 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कैलाश, जयराम , लाला पि0 झूंथा, भोली देवी पत्नी झूंथा, सुरजी देवी पुत्री झूंथा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/1 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

2. सुवा पुत्र श्योला जाति मीणा सा0 देह राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/2 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

3. बाबूलाल, सुरेन्द्र, पप्पुराम, फुलचन्द, हंसराज पि0 रूडा, पतासी देवी पत्नी रूडा, मिश्री देवी पुत्री रूडा जाति मीणा सा0 देह राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/3 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

4. कैलाश, जयराम , लाला पि0 झूंथा, भोली देवी पत्नी झूंथा, सुरजी देवी पुत्री झूंथा हिस्सा 1/3, सुवा पुत्र श्योला हिस्सा 1/3 राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा, बाबूलाल

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सुरेन्द्र, पप्पुराम ,फुलचन्द, हंसराज पि0 रूडा, पतासी देवी पत्नी रूडा, मिश्रीदेवी पुत्री रूडा राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/4 रकबा 0.02 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.टे.)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 01/2021

शीर्षक

1. कैलाश पुत्र झूंथा
2. लाला पुत्र झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासी घासीपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– वादीगण

बनाम

1 रूड़ा पुत्र श्योला
2 सुवा पुत्र श्योला समस्त जाति मीणा, निवासीयान घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा–शाहपुरा, जिला (राज०)

– प्रतिवादीगण

5. जयराम पुत्र झूंथा
6. सुरजी देवी पुत्री झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासीयान घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 3/7/2024

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं0–257 के खसरा नं० 76/0.62 है0 किता–1 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम घासीपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कैलाश, जयराम , लाला पि0 झूंथा, भोली देवी पत्नी झूंथा, सुरजी देवी पुत्री झूंथा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/1 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2. सुवा पुत्र श्योला जाति मीणा सा0 देह राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/2 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

3. बाबूलाल, सुरेन्द्र, पप्पुराम, फुलचन्द, हंसराज पि0 रूडा, पतासी देवी पत्नी रूडा, मिश्री देवी पुत्री रूडा जाति मीणा सा0 देह राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/3 रकबा 0.20 है0 भूमि रहेगी।

4. कैलाश, जयराम , लाला पि0 झूंथा, भोली देवी पत्नी झूंथा, सुरजी देवी पुत्री झूंथा हिस्सा 1/3, सुवा पुत्र श्योला हिस्सा 1/3 राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा, बाबूलाल सुरेन्द्र, पप्पुराम ,फुलचन्द, हंसराज पि0 रूडा, पतासी देवी पत्नी रूडा, मिश्रीदेवी पुत्री रूडा राहिन ओबीसी शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 76/4 रकबा 0.02 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 3/7/2024 को मेरेहस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner